माँग वचन पत्र (   )

रुपये   /-   दिनांक:

माँग किए जाने पर, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के तहत पंजीकृत कंपनी यूनिमनी को, अथवा आदेश की स्थिति में इसके कार्यालय/शाखा को यहाँ दी गई तिथि से... % की मासिक/ त्रैमासिक/ वार्षिक दर के साथ प्रतिवर्ष ब्याज दर सहित कुल..............रुपये की राशि के भुगतान का वचन देता हूँ, जिसमें किसी भी तरह की चूक (डिफ़ॉल्ट) होने पर प्राप्त धनराशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वृद्धि होगी।

नाम एवं हस्ताक्षर: स्टाम्प पर हस्ताक्षर

Revenue Stamp Rs. 1/-

नियम एवं शर्तें

1. ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए इस माँग वचन पत्र के तहत एक निश्चित ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा, जो कंपनी द्वारा तय किए गए उपरोक्त और आकस्मिक शुल्क के रूप में प्रदर्शित होगा, जिसमें कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्यांकनकर्ता शुल्क भी शामिल है, और इस संबंध में ऋणप्राप्तकर्ता को समय-समय पर सूचित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए एक वर्ष की अवधि 365 दिनों की है। ऋण की अधिकतम अवधि 12 महीने है।
2. यह ऋण गैर-कृषि उद्देश्यों, यानी खेती को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए दिया जाता है। कंपनी द्वारा 22 कैरेट शुद्धता के आधार पर आभूषणों का मूल्य तय किया जाएगा। आभूषणों की शुद्धता 22 कैरेट से कम होने की स्थिति में, प्रति ग्राम आभूषण के मूल्य की गणना के लिए इसे 22 कैरेट के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, तथा किसी भी मामले में ऋण की राशि (LTV) गिरवी रखे सोने के मूल्य के 75% से अधिक नहीं होगी। कंपनी द्वारा आरबीआई (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऋण की राशि, सोने के वजन और प्रति ग्राम आभूषण की दर के संबंध में निर्णय लिया जाएगा और कंपनी का निर्णय अंतिम होगा। ऋण की अवधि संवितरण की तारीख से 3 से 36 महीनों की होगी, जो ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा चुनी गई योजना पर निर्भर होगी। योजना से संबंधित विशेष शर्तों के अलावा, ऋणप्राप्तकर्ता के लिए सामान्य शर्तों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
3. अगर कंपनी को ऋणप्राप्तकर्ता के संबंध में ऐसी कोई भी जानकारी मिलती है, जिससे कंपनी को यह संदेह हो कि ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा ब्याज या ऋण की रकम की अदायगी नहीं किए जाने की संभावना है, तो उस स्थिति में ऋण अवधि के दौरान किसी भी समय कंपनी को इस संदर्भ में सूचना जारी करके सभी बकाया राशि सहित ऋण की पूरी राशि को वापस लेने, या ऋण चुकाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अधिकार है। अगर ऋणप्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा तय की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में नीलामी के माध्यम से आभूषणों की बिक्री की जाएगी।
4. ऋणप्राप्तकर्ता ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से अतिरिक्त ऋण/टॉप-अप प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए उसे सेवा शाखा से अनुरोध करना होगा। ऋणप्राप्तकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा जाएगा, जिसके जरिए ऋणप्राप्तकर्ता अपने लोन अकाउंट में लॉग-इन करके टॉप-अप प्राप्त कर सकता है, जो ऋण की अवधि के भीतर अधिकतम योग्य राशि पर निर्भर है।
5. इसके बाद ऋण की कुल बकाया राशि (यानी, मौजूदा बकाया राशि और टॉप-अप राशि का योग) के लिए एक नई रसीद तैयार की जाएगी और ऋणप्राप्तकर्ता को नई रसीद की शर्तों के अनुसार भुगतान करना होगा। सभी बकाया राशि का भुगतान करने के बाद, ऋणप्राप्तकर्ता शाखा में जाकर अपने आभूषणों को तुरंत जारी कर सकते हैं।
6. ऋण के समापन, यानी लोन अकाउंट को बंद करने के दौरान गिरवी रखते समय / संवितरण के समय जारी किए गए गोल्ड लोन प्राप्ति की मूल रसीद को शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना आभूषण जारी नहीं किए जाएंगे। अगर यह मूल रसीद कहीं खो जाती है, तो ऋणप्राप्तकर्ता को इस बारे में कंपनी को तुरंत लिखित रूप में सूचना देनी चाहिए। ऋणप्राप्तकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा गोल्ड लोन प्राप्ति की मूल रसीद को शाखा में जमा करने तथा बकाया राशि का पूरी तरह भुगतान करने के बाद ही उन्हें आभूषण वापस दिए जा सकते हैं।
7. कंपनी द्वारा सभी भुगतानों और प्राप्तियों के लिए केवल कंप्यूटर सिस्टम से तैयार की गई रसीदें जारी की जाती हैं, और किसी भी तरह के भुगतान या प्राप्तियों के लिए हाथ से लिखी गई कोई रसीद जारी नहीं की जाती है। शाखा के बाहर स्वीकार किए गए भुगतानों के मामले में, ऋणप्राप्तकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के माध्यम से तुरंत भुगतान की पुष्टि के लिए संदेश भेजा जाएगा।
8. कंपनी शुल्क या ब्याज दर सहित किसी भी मौजूदा नियम एवं शर्तों में संशोधन करने, और / या ऋणप्राप्तकर्ता के लोन अकाउंट में कोई नया प्रभार/शुल्क लागू (संभावित रूप से लागू) करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इस संदर्भ में ऐसे मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) या ईमेल के माध्यम से ऋणप्राप्तकर्ता को अग्रिम सूचना (उसके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में) दी जाएगी, जो मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस उसने ऋण लेते समय कंपनी को प्रदान की थी। अगर इस तरह की सूचना भेजे जाने के 7 दिनों के अंदर कोई विवाद नहीं हो, तो उस स्थिति में माना जाएगा कि ऋणप्राप्तकर्ता को सूचना मिल चुकी है, उसने इसे पढ़ लिया है और स्वीकार कर लिया है। कंपनी को दिए गए फोन नंबर / ईमेल आईडी / पते में किसी भी तरह का बदलाव होने की स्थिति में, ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा कंपनी को लिखित तौर पर सूचना देनी चाहिए, और ऐसा नहीं करने पर कंपनी द्वारा भेजी गई ऐसी किसी भी सूचनाओं के नहीं मिलने के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी।
9. यूनिमनी ब्याज दर मॉडल के माध्यम से ब्याज की दर निर्धारित की जाती है, जिसके लिए फंड की लागत, लेन-देन की लागत, जोखिम प्रीमियम और इक्विटी पर अपेक्षित न्यूनतम रिटर्न जैसे संबंधित कारकों को ध्यान में रखा जाता है। हम जोखिम के वर्गीकरण के लिए सर्वसमावेशी दृष्टिकोण अपनाते हैं जिसमें ऋणप्राप्तकर्ताओं के बीच वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें प्रत्येक ऋण के लिए इस तरह से ब्याज दर का निर्धारण होता है जो ऋणप्राप्तकर्ताओं के अनुकूल हो।
10. अगर ऋणप्राप्तकर्ता ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ ऋण चुकाने में विफल रहता है, तो वह ऋण की निर्धारित अवधि के भीतर कंपनी को आभूषणों के संदर्भ में किसी भी तरह की कार्यवाही करने का अधिकार देता है। आभूषणों की नीलामी से पहले कंपनी द्वारा ऋणप्राप्तकर्ता को बकाया राशि जमा करने के अनुरोध के लिए पंजीकृत पते पर सूचना भेजी जाएगी, जिसके बाद संबंधित सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में भी किया जाएगा। इस कार्रवाई का संचालन कंपनी के अधिकृत कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। नीलामी के बाद भी अगर ऋण की राशि के भुगतान में कमी पाई जाती है, तो उस स्थिति में ऋणप्राप्तकर्ता कंपनी को बाकी की रकम का भुगतान करने के लिए सहमत है, और ऐसा नहीं होने पर कंपनी को बाकी की रकम प्राप्त करने के लिए ऋणप्राप्तकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का सहारा लेने का अधिकार होगा। इसके अलावा, ऋणप्राप्तकर्ता को प्रति पंजीकृत सूचना के लिए 50 रुपये/- की दर से सूचना शुल्क का वहन करना होगा।
11. कंपनी ऋणप्राप्तकर्ता को मार्जिन की रकम की अदायगी के लिए 7 दिनों का समय देने के बाद नीलामी की सूचना देगी, और ऋणप्राप्तकर्ता इस बात से सहमत है कि यह अवधि उसके लिए पर्याप्त है। कम-से-कम दो समाचार-पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर नीलामी की घोषणा की जाएगी, जिनमें से कम-से-कम एक समाचार-पत्र स्थानीय भाषा का होगा और दूसरा राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र होगा।
12. जब तक कंपनी के पास ऋणप्राप्तकर्ता के ऋण के संदर्भ में किसी भी तरह की बकाया राशि मौजूद है, तब तक ऋणप्राप्तकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह कंपनी के पास ऋण की राशि के 25% मार्जिन को हर समय बरकरार रखे या रखवाये। जमानत के तौर पर रखी गई वस्तु (कलैटरल) के मूल्य की गणना उसके मौजूदा बाजार मूल्य पर आधारित होगी। ऋणप्राप्तकर्ता इस बात से सहमत है कि कंपनी उसे वह तिथि और समय बताएगी जब मार्जिन / कलैटरल उपलब्ध कराया जाना है, और कंपनी मार्जिन / कलैटरल के लिए निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी रूप में किसी भी भुगतान को स्वीकार करने से इनकार कर सकती है।
13. ऊपर पैरा संख्या 8 में दिए गए विवरणों के बावजूद, अगर मार्जिन 20% से कम हो जाता है तो उस स्थिति में कंपनी के पास ऋण की अवधि समाप्त होने से पहले ही निकट भविष्य में किसी भी समय सार्वजनिक नीलामी अथवा निजी व्यवस्था द्वारा आभूषणों की बिक्री का अधिकार सुरक्षित है। कंपनी ऋणप्राप्तकर्ता को मार्जिन को पूरा करने के लिए 7 दिनों का समय देने के बाद नीलामी शुरू करेगी, और ऋणप्राप्तकर्ता इस बात से सहमत है कि यह अवधि उसके लिए पर्याप्त है।
14. गिरवी रखा गया आभूषण पूरी तरह से ऋणप्राप्तकर्ता की संपत्ति है, तथा किसी भी अन्य व्यक्ति के पास इसका कोई अधिकार, हिस्सेदारी या दावा नहीं है, साथ ही ऋणप्राप्तकर्ता के पास उन्हें अपनी मर्जी से गिरवी रखने का पूरा अधिकार है। आभूषण के मालिकाना हक के संदर्भ में किसी भी तरह की त्रुटि पाए जाने पर, ऋणप्राप्तकर्ता कंपनी को होने वाले सभी नुकसान, लागत और परिणामों की भरपाई करेगा।
15. कंपनी किसी भी व्यक्ति / कंपनी / बैंक / वित्तीय संस्थान से किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि/ ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से सोने के आभूषणों (सुरक्षा के तौर पर गिरवी रखे गए) के साथ-साथ आपके ऋण से संबंधित सभी अधिकारों को हस्तांतरित करने, गिरवी रखने, बेचने या सुपुर्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, तथा ऋणप्राप्तकर्ता इस बारे में जानकारी है और वह एतद्द्वारा बिना किसी आपत्ति के अपनी सहमति प्रकट करता है।
16. ऋणप्राप्तकर्ता एतद्द्वारा कंपनी को इस बात का अधिकार देता है कि, वह इस ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में जमा किए गए स्वर्ण आभूषणों के अंतर्निहित मूल्य जोखिम को कम करने के लिए वैकल्पिक अनुबंध कर सकती है, साथ ही वह वैकल्पिक अनुबंध से संबंधित आनुपातिक प्रीमियम का भुगतान करने के लिए सहमत है।
17. गिरवी रखे गए सभी आभूषणों का बीमा कंपनी द्वारा कराया जाता है। फिर भी अगर आभूषणों की किसी विशेष गुणवत्ता या बनावट की वजह से कोई नुकसान होता है, तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। हालांकि, अगर कंपनी अथवा उसके कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ऐसा होता है, तो उस स्थिति में उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी।
18. अगर कंपनी को ऐसा लगे कि तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके ऋण लिया गया है, तो कंपनी के पास उस ऋण के लिए स्वीकृत अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय ऋण को वापस लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में ऋणप्राप्तकर्ता को ब्याज सहित ऋण का पूरा भुगतान करना होगा और गिरवी रखे गए सोने के आभूषण को वापस प्राप्त करना होगा।
19. ऋणप्राप्तकर्ता आगे इस बात से भी सहमत है कि वह ऋण के विवरणों सहित सभी शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, तथा नियमों एवं शर्तों में किसी भी तरह की चूक होने और / या उल्लंघन की स्थिति में यूनिमनी को न्यायालय या किसी अन्य उपयुक्त फोरम के समक्ष इस संदर्भ में अपनी शिकायतों के निवारण का अधिकार होगा।
20. ऋणप्राप्तकर्ता को प्रशासनिक कार्यों से संबंधित शुल्क, ब्याज कर, सेवा कर शुल्क (स्टांप शुल्क सहित), जीएसटी और करों (सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर किसी भी रूप में लगाए जाने वाले सभी कर) के साथ-साथ (a) ऋण के लिए आवेदन एवं पुनर्भुगतान; (b) ब्याज के साथ ऋण की वसूली और प्राप्ति; (c) सुरक्षा की व्यवस्था से संबंधित उपायों को लागू करने; तथा (d) सुरक्षा एवं सुरक्षा बीमा के संबंध में सभी प्रकार के बकाया करों और किसी भी अन्य शुल्क के भुगतान के साथ-साथ सरकार द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क एवं लेवी का वहन, भुगतान करना होगा और इसकी भरपाई करनी होगी।
21. सभी अतिदेय खातों (ओवरड्यू अकाउंट) के बकाया मूलधन की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाएगा। कंपनी अपने विवेक के आधार पर किसी भी समय दंडात्मक ब्याज दर में बदलाव या संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
22. ऋणप्राप्तकर्ता कंपनी को कानूनी और / या नियामक आवश्यकताओं के पालन के उद्देश्य से, क्रेडिट के संदर्भ में प्राप्त की गई सुविधाओं/ प्राप्त किए गए ऋण/ प्राप्त किए जाने वाले ऋण से संबंधित किसी भी /सभी जानकारी, और/ या इससे संबंधित डेटा को कंपनी की सहयोगी कंपनियों, क्रेडिट ब्यूरो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, बैंक, वित्तीय संस्थान, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, डेटा बैंक या कोई सरकारी या नियामक प्राधिकरण / निकाय / विभाग के समक्ष प्रकट / प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है।
23. सभी प्रकार के संचार के लिए इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए पते का ही इस्तेमाल किया जाएगा। पते में किसी भी बदलाव के लिए कंपनी को लिखित में सूचना देनी होगी और कंपनी की ओर से पावती प्राप्त करना आवश्यक होगा।
24. कंपनी द्वारा डाक / कूरियर / पंजीकृत पता/ पंजीकृत ईमेल / दूरसंचार / एसएमएस (SMS) में से किसी एक या अधिक माध्यमों से ऋणप्राप्तकर्ता को संदेश भेजा जा सकता है ,परंतु यह केवल इन तक ही सीमित नहीं है। ऋणप्राप्तकर्ता यह वचन देता है और इस बात से सहमत है कि, कंपनी द्वारा इस प्रकार के भेजे गए किसी भी संदेश के बारे में माना जाएगा कि वह संदेश या सूचना ऋणप्राप्तकर्ता तक पहुँच गई है। साथ ही ऋणप्राप्तकर्ता इस बात से भी सहमत है कि वह संदेश या सूचना की प्राप्ति में विलंब होने, अथवा पते / फोन नंबर में परिवर्तन या किसी भी अन्य वजह के आधार पर इसे कभी चुनौती नहीं देगा।
25. ऋणप्राप्तकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि, वह इस ऋण के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए नहीं करेगा, जिसमें प्राथमिक सोना, गोल्ड बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (GETF) की यूनिट और गोल्ड म्यूचुअल फंड की यूनिट शामिल हैं।
26. ऋणप्राप्तकर्ता को ब्याज के भुगतान की तिथि याद दिलाने के लिए और/या कंपनी के किसी अन्य प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए कंपनी की ओर से एसएमएस (SMS)/कॉल प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है।
27. ऋणप्राप्तकर्ता इस बात से अवगत है कि, कंपनी ने ऋण देने के लिए बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त की है। कंपनी द्वारा स्पष्ट तौर पर इस संदर्भ में अधिकृत किए जाने पर, ऋणप्राप्तकर्ता एतद्द्वारा इस बात पर सहमति प्रकट करता है कि ऐसे बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से इस संदर्भ में सूचना मिलने पर वह सीधे बैंक / वित्तीय संस्थाओं को देय राशियों का भुगतान करेगा, और इस प्रकार भुगतान करने पर माना जाएगा कि ऋणप्राप्तकर्ता ने कंपनी के प्रति अपने भुगतान दायित्वों का निर्वहन किया है।
28. ऋण को स्वीकृति देकर, कंपनी इस बात की पुष्टि नहीं करती है अथवा यह स्वीकार नहीं करती है कि गिरवी रखे गए आभूषणों की शुद्धता 22 कैरेट की है। कंपनी के पास उपयुक्त तरीकों से सोने के आभूषणों की शुद्धता की जाँच करने का स्वतंत्र अधिकार होगा, और अगर किसी भी समय कंपनी को पता चलता है कि गिरवी रखे गए आभूषणों की शुद्धता 22 कैरेट से कम है या उनके मिलावटी अथवा नकली होने की संभावना है, तो ऋणप्राप्तकर्ता कंपनी के ऐसे निष्कर्षों को मानने के लिए बाध्य होगा तथा वह ऋण एवं ब्याज को तुरंत चुकाने और कंपनी को हुए नुकसान, यदि कोई हो, की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा नहीं होने पर कंपनी को इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है।
29. ऋणप्राप्तकर्ता इस तथ्य का प्रतिनिधित्व करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि, ऋण दस्तावेज़ में दी गई सभी जानकारी तथा ऋण प्राप्त करने से संबंधित अन्य सभी दस्तावेजों में बताई गई जानकारी को उसने अच्छी तरह पढ़ा है तथा उसे उसकी समझ आने वाली भाषा में अच्छी तरह समझाया गया है।
30. ऋणप्राप्तकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि, उसे ऋण से संबंधित उपरोक्त नियमों व शर्तों की एक प्रति प्राप्त हुई है।
31. मैं एतद्द्वारा इस बात से सहमति प्रकट करता/ करती हूँ कि, यूनिमनी के पास अपने विवेक के आधार पर इस ऋण दस्तावेजों के नियमों एवं शर्तों में उपयुक्त बदलाव करने का अधिकार है, और तदनुसार यूनिमनी द्वारा इस बारे में मुझे सूचना दी जाएगी।
32. अगर ऋणप्राप्तकर्ता अपने ऋण का मोचन-निषेध (फोरक्लोज़) करता है, तो उससे बकाया मूलधन का 0.25% का फोरक्लोज़र शुल्क लिया जाएगा।
33. ऋणप्राप्तकर्ता एतद्द्वारा कंपनी को क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और / या आरबीआई या अन्य सांविधिक निकायों द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के समक्ष प्राप्त किए गए ऋण सुविधा से संबंधित किसी भी जानकारी या डेटा को प्रकट करने की सहमति प्रदान करता है। ऋणप्राप्तकर्ता इस बात से अवगत है कि, ऐसी एजेंसियाँ अपने विवेक के आधार पर इस तरह की जानकारी का उपयोग कर सकती हैं या साझा कर सकती हैं।
34. इस ऋण से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के निपटान के लिए उस मामले को कंपनी द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त एकल न्यायकर्त्ता (आर्बिट्रेटर) के पास भेजा जाएगा। इस प्रकार के विवादों की मध्यस्थता का स्थान एर्नाकुलम में होगा। यह लेन-देन एर्नाकुलम के न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
35. समयावधि पूर्ण होने के मामलों में ऋण को बंद करने की तारीख तक मूलधन पर 14.01% प्रतिवर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज/शुल्क लिया जाएगा।
36. भुगतान में चूक (डिफ़ॉल्ट) करने वाले सभी ग्राहकों के लिए, नियत तारीख के बाद दैनिक आधार पर मूलधन पर 4.01% प्रतिवर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज/शुल्क लिया जाएगा।
37. लोन प्रोसेसिंग शुल्क और अन्य सभी शुल्कों पर 18% की दर से जीएसटी लागू है।
38. मैंने ऋण के नियम एवं शर्तों को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है और मैं इसे स्वीकार करता/ करती हूँ, जिसकी एक प्रति मुझे उपलब्ध करा दी गई है। मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि ऊपर बताए गए आभूषण मेरे हैं। आभूषणों में अगर कोई रत्न (पत्थर) लगे हुए हैं, तो उनका कोई बाजार मूल्य नहीं है। मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार ब्याज सहित ऋण चुकाने के लिए अपनी सहमति देता/ देती हूँ। उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मुझे अच्छी तरह समझाई गई हैं और मैं इन सभी को स्वीकार करता हूँ।
39. ऋण के संदर्भ में लागू उचित आचरण संहिता कंपनी की वेबसाइट: www.unimoni.in पर उपलब्ध है।

स्थान: ग्राहक का हस्ताक्षर:

तारीख: